

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/प्रधाना. व प्र.अ./वेतन व्यवस्था/बो01/2022/


दिनांक:- 08.2022

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि व समकक्ष स्तर के शिक्षा अधिकारियों का कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-4 में अंकित स्थान/विद्यालय से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। सम्बन्धित शिक्षा अधिकारी द्वारा यदि कॉलम संख्या-3 में वर्णित अवधि के दौरान किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है, तो अवकाश स्वीकृति एवं उपस्थिति की पूर्ण जांच किये बिना, कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जावे।

क्रं.सं	कार्मिक का नाम मय पदनाम व पदस्थापन स्थान	अवधि	स्थान/विद्यालय का नाम जहां से वेतन आहरित किया जाना है
I	II	III	IV
1	नरसो मीणा, प्रधानाचार्य राउमावि सांवलिया चाकसू, जयपुर	फरवरी 2022 व मार्च 2022	राउमावि उदगाँव-बौली, सवाई माधोपुर
2	रविता मीणा, प्रधानाचार्य राउमावि नयाबास सीकर	नवम्बर 2021 से मई 2022	राउमावि राजलदेसर, चुरू
3	जगाराम, प्रधानाचार्य राउमावि भादरलाऊ, रानी, पाली	अप्रैल 2022 व मई 2022	राउमावि इटन्दरा मेडतिया, पाली

वेतन आहरण से पूर्व विभागीय परिपत्र क्रमांक शिविरा/मा/बजट/बी-4 /25577 /2020-21 /226 दिनांक 26.11.2020 में प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/45004-45005/प्रधानाचार्य-प्रधानाध्यापक/वेतन व्यवस्था/2022/16 दिनांक:- 08.08.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,।
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड हेतु।
- 3 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा ।
- 5 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
- 6 सम्बन्धित कार्मिक/संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- 7 रक्षित पत्रावली ।

सत्यमेव जयते


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)